राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

दुरूस्तीकरण याचिका/विविध प्रार्थना पत्र संख्या–14/2017/जयपुर
(अन्तर्गत निगरानी सं. 890/2011)

हरिपाल मीणा पुत्र बोदन राम मीणा,
जाति मीणा, आयु–32 वर्ष,
निवासी– कल्याणपुरा खुर्द, तहसील–कोटपुतली,
जिला–जयपुर। .... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उपंपजीयक, कोटपुतली, जिला–जयपुर। ...अप्रार्थी
2. हनुमान पुत्र सोहन गुर्जर, निवासी–ग्राम कल्याणपुरा खुर्द, तहसील–कोटपुतली, जिला जयपुर। ... प्रोफार्मा अप्रार्थी

दुरूस्तीकरण याचिका/विविध प्रार्थना पत्र संख्या –15/2017/जयपुर
(अन्तर्गत निगरानी सं. 891/2011)

हरिपाल मीणा पुत्र बोदन राम मीणा,
जाति मीणा, आयु–32 वर्ष,
निवासी– कल्याणपुरा खुर्द, तहसील–कोटपुतली,
जिला–जयपुर। .... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उपंपजीयक, कोटपुतली, जिला–जयपुर। ...अप्रार्थी
2. हनुमान पुत्र सोहन गुर्जर, निवासी–ग्राम कल्याणपुरा खुर्द, तहसील–कोटपुतली, जिला जयपुर। ... प्रोफार्मा अप्रार्थी
3. श्योकरण पुत्र सोहन गुर्जर निवासी–ग्राम कल्याणपुरा खुर्द, तहसील–कोटपुतली, जिला जयपुर। ... प्रोफार्मा अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :
श्री रोडमल
अभिभाषक ....प्रार्थी की ओर से
श्री जमील जई
उप–राजकीय अभिभाषक ....अप्रार्थी सं. 1 की ओर से
तामील प्रक्रियाधीन ...अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3

निर्णय दिनांक : 28.07.2017

निर्णय

1. उपरोक्त दुरूस्तीकरण याचिकाएँ प्रार्थी द्वारा निगरानी सं. 890 अन्तर्गत धारा 65 राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 निर्णय दिनांक 16.12.2016 एवं निगरानी सं 891 निर्णय 16.12.2016 के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गई है।

लगातार.............2

2. निगरानी सं. 890/2011 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रार्थी सं. 2 श्री हनुमान पुत्र श्री सोहन गुर्जर ने अपने स्वामित्व व अधिकार क्षेत्र की अचल सम्पत्ति ग्राम कल्याणपुरा खुर्द तहसील कोटपूतली जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 100 रकबा 10 बिस्वा का बेचान जरिये इकरारनामा श्री बोदन राम पुत्र सुरताराम मीणा निवासी कल्याणपुरा खुर्द को दिनांक 21.06.1982 किया। क्रेता के पुत्र श्री हरिपाल मीणा द्वारा दिनांक 22.03.2010 को अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक) जयपुर वृत्त द्वितीय के समक्ष इकरारनामा दिनांक 21.06.1982 को पूर्ण मुद्रांकित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय द्वारा दिनांक 21.06.1982 में डी. एल. सी. दरे प्रभावी नही होने के कारण इकरारनामा में अंकित प्रतिफल राशि रूपये 6,000/– को ही प्रश्नगत दस्तावेज की मालियत मानकर मुद्रांक कर 4,00/– रूपये व माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश क. ख. एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटपूतली के पत्र क्रमांक 232 दिनांक 11.03.2010 के अनुसरण में 10 गुना शास्ति आरोपित करते हुए कुल 4,400/– रूपये वसूल कर सम्यक मुद्रांकन का आदेश दिया तथा राशि जमा होने पर सम्यक मुद्रांक किया जिसके विरूद्ध राज्य पक्ष की ओर से यह निगरानी प्रस्तुत की गई। इस न्यायालय की खण्डपीठ ने अपने निर्णय दिनांक 16.12.2016 द्वारा निगरानी आंशिक स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये गये कि वे उभय पक्ष को सुनकर विचाराधीन प्रकरण में इकरारनामें को मुद्रांकित करने हेतु प्रस्तुत करने की दिनांक 22.03.2010 को आधार मानकर सम्पत्ति का मूल्यांकन कर, मुद्रांक कर निर्धारण एवं वसूली हेतु तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही की जावे। प्रार्थी श्री हरिपाल मीणा द्वारा यह दुरूस्तीकरण याचिका उपरोक्त निर्णय दिनांक 16.12.2016 में संशोधन हेतु प्रस्तुत की गई है।

3. निगरानी सं. 891/2011 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रार्थी सं. 2 व 3 श्री हनुमान व श्योकरण पुत्रगण श्री सोहन गुर्जर ने अपने स्वामित्व व अधिकार क्षेत्र की अचल सम्पत्ति ग्राम कल्याणपुरा खुर्द तहसील कोटपूतली जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 100 रकबा 10 बिस्वा का बेचान जरिये इकरारनामा श्री बोदूराम पुत्र सुरताराम मीणा निवासी कल्याणपुरा खुर्द को दिनांक 14.08.1982 किया। क्रेता के पुत्र श्री हरिपाल मीणा द्वारा दिनांक 22.03.2010 को अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक) जयपुर वृत्त द्वितीय के समक्ष इकरारनामा दिनांक 14.08.1982 को पूर्ण मुद्रांकित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

लगातार............3

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय द्वारा दिनांक 14.08.1982 में डी. एल. सी. दरे प्रभावी नही होने के कारण इकरारनामा में अंकित प्रतिफल राशि रूपये 6,000/— को ही प्रश्नगत दस्तावेज की मालियत मानकर मुद्रांक कर 4,00/— रूपये व माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश क. ख. एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटपूतली के पत्र क्रमांक 232 दिनांक 11.03.2010 के अनुसरण में 10 गुना शास्ति आरोपित करते हुए कुल 4,400/— रूपये वसूल कर सम्यक मुद्रांकन का आदेश दिया तथा राशि जमा होने पर सम्यक मुद्रांकित किया जिसके विरूद्ध राज्य पक्ष की ओर से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। इस न्यायालय की खण्डपीठ ने अपने निर्णय दिनांक 16.12.2016 द्वारा निगरानी आंशिक स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये गये कि वे उभय पक्ष को सुनकर विचाराधीन प्रकरण में इकरारनामें को मुद्रांकित करने हेतु प्रस्तुत करने की दिनांक 22.03.2010 को आधार मानकर सम्पत्ति का मूल्यांकन कर, मुद्रांक कर निर्धारण एवं वसूली हेतु तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही की जावे। प्रार्थी श्री हरिपाल मीणा द्वारा यह दुरूस्तीकरण याचिका उपरोक्त निर्णय दिनांक 16.12.2016 में संशोधन हेतु प्रस्तुत की गई है।

4. विविध प्रार्थना दर्ज कर मूल निगरानी याचिका पत्रावलियॉ संलग्न की गई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 की तामील अभी नहीं हुई है परन्तु प्रकरण दुरूस्तीकरण से सम्बन्धित होने व मुद्रांक कर की देयता प्रार्थी क्रेता की होने के कारण उभय पक्ष की सहमति से प्रकरण के अंतिम निस्तारण हेतु बहस उपस्थित उभय पक्ष की सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि दोनों इकरारनामे एक ही सम्पत्ति व क्रेता व विक्रेता समान होने के कारण दो बार मुद्रांक कर आरोपित नहीं किया जा सकता। अतः मूल निर्णय में संशोधन प्रार्थना पत्र के अनुसार संशोधन किया जावे।

6. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वांछित संशोधन दुरूस्तीकरण की श्रेणी में नहीं होने के कारण संशोधन प्रार्थना पत्र खारिज किये जावे।

7. हमनें पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :—

8. विचाराधीन प्रकरणों में प्रथम इकरारनामा श्री हनुमान पुत्र सोहन गुर्जर ने ग्राम कल्याणपुरा खुर्द तहसील कोटपुतली जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नं. 100

लगातार.....4

रकबा 10 बीस्वा का बेचान जरिये इकरारनामा दिनांक 21.06.82 द्वारा बोदन राम पुत्र सुरताराम मीणा को किया गया जिसके पुत्र हरिपाल मीणा ने इस इकरारनामे को मुद्रांकित करवाने हेतु दिनांक 22.03.2010 को प्रस्तुत किया जिस पर प्रकरण सं. 255/2010 में कलक्टर मुद्रांक द्वारा निर्णय दिनांक 22.03.2010 पारित किया गया जिसके विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी सं. 890/2011 में माननीय कर बोर्ड द्वारा निर्णय दिनांक 16.12.2016 पारित हुआ। द्वितीय इकरारनामा श्री हनुमान व श्योकरण पुत्रगण सोहन गुर्जर ने ग्राम कल्याणपुरा खुर्द तहसील कोटपुतली जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नं. 100 रकबा 10 बीस्वा का बेचान जरिये इकरारनामा दिनांक 14.08.82 द्वारा बोदन राम पुत्र सुरताराम मीणा को किया गया जिसके पुत्र हरिपाल मीणा ने इस इकरारनामे को मुद्रांकित करवाने हेतु दिनांक 22.03.2010 को प्रस्तुत किया जिस पर प्रकरण सं. 256/2010 में कलक्टर मुद्रांक द्वारा निर्णय दिनांक 22.03.2010 पारित किया गया जिसके विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी सं. 891/2011 में माननीय कर बोर्ड द्वारा निर्णय दिनांक 16.12.2016 पारित हुआ। माननीय कर बोर्ड द्वारा उपरोक्त निर्णय दिनांक 16.12.2016 द्वारा राज्य पक्ष की निगरानी आंशिक स्वीकार करते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित कर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये गये कि वे उभय पक्ष को सुनकर विचाराधीन प्रकरण में इकरारनामें को मुद्रांकित करने हेतु प्रस्तुत करने की दिनांक 22.03.2010 को आधार मानकर सम्पत्ति का मूल्यांकन कर, मुद्रांक कर निर्धारण एवं वसूली हेतु तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही की जावे।

9. प्रार्थी का कथन है कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार कृषि भूमि खसरा नम्बर 100 रकबा 10 बीस्वा का मूल खातेदार सोहन गुर्जर था जिसके दो पुत्र अप्रार्थी सं. 2 व श्योकरण हुये। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार मृतक खातेदार सोहन गुर्जर की कृषि भूमि के उसके दोनों पुत्र एक साथ समान रूप से बहैसियत वारित खातेदार बने। अप्रार्थी सं. 2 ने इस कृषि भूमि के कुल रकबा जो कि 10 बीस्वा है, को विक्रय इकरारनामा दिनांक 21.06.1982 के द्वारा प्रार्थी के पिता बोदनराम मीणा को बेचान कर दिया था, हालांकि इस कृषि भूमि की खातेदारी अकेले अप्रार्थी सं 2 के नाम नहीं थी और इसका भाई श्योकरण भी बराबर हिस्से का सह खातेदार था। इस विधिक व तथ्यात्मक त्रुटि को दूर करने के लिये एक दूसरा विक्रय इकरारनामाम दिनांक 14.08.1982 को दोनों भाईयों ने अर्थात अप्रार्थी सं. 2 व उसके भाई श्योकरण ने उसी प्रतिफल के बदले बिना अतिरिक्त प्रतिफल लिये प्रार्थी के पिता बोदनराम मीणा के पक्ष में लिख दिया।

लगातार.....5

इस प्रकार वास्तविक रूप में एक ही कृषि भूमि के विक्रय बाबत वास्तविक रूप में एक ही कृषि भूमि के विक्रय बाबत दो विक्रय इकरारनामों में अलग–अलग प्रतिफल नहीं होकर वही प्रतिफल है जो पूर्व के इकरारनामे में संदाय किया गया। इस प्रकार दो विक्रय इकरारनामों का अस्तित्व उक्त वर्णित तकनीकी त्रुटि रह जाने के कारण आया जबकि वास्तव में ट्रांजेक्शन एक ही है और प्रतिफल भी एक ही बार लिया गया व दिया गया है। पूर्व के इकरारनामें में जो क्रेता पक्ष है वही बाद वाले इकरारनामे में भी क्रेता पक्ष है। साररूप में एक ट्रांजेक्शन के तथा एक प्रतिफल लेन–देन के एवं एक ही भूमि के बाबत समान क्रेता व विक्रेता के मध्य दो दस्तावेजों को अस्तित्व में आ जाना ही इस प्रकरण की विवादवस्तु व विवाद बिन्दु है। प्रार्थी का यह भी कथन है कि ऊपर बताई परिस्थितियों में जहां कि एक ट्रांजेक्शन के दो दस्तावेज हो तो मुद्रांक कर का भुगतान साररूप से दोनों दस्तावेजों की प्रकृति, उनसे अन्तरित हुई सम्पत्ति का विवरण व भुगतान की गई प्रतिफल राशि के बाबत बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये एक ट्रांजेक्शन पर ही मुद्राक देय होना होता है। प्रथम विक्रय इकरारनामाम का मर्जर (Merger) द्वितीय इकरारनामा में हो गया और द्वितीय इकरारनाममा के अस्तित्व में आ जाने के पश्चात् प्रथम इकरारनामा क पृथक अस्तित्व नहीं रहा। दोनो विक्रय इकरारनामों से अलग–अलग कृषि भूमियों का बेचान नहीं हुआ। प्रथम इकरारनामाम में भी 10 बीस्वा कृषि भूमि बेची गई और वही 10 बीस्वा कृषि भूमि बेची गई और वही 10 बीस्वा कृषि भूमि द्वितीय इकरारनामें से बेची गई। यह बिन्दु इस स्थिति में भिन्न हो जाता है जबकि प्रथम इकरारनामाम में केवल अप्रार्थी सं 2 द्वारा 10 बीस्वा भूमि में से उसका आया हिस्सा ही बेचा जाता और शेष आधा हिस्सा श्योकरण द्वारा द्वितीय इकरारनामा से बेचा जाता । हस्तगत प्रकरण में यह स्थिति नहीं है बल्कि प्रथम इकरारनामा दिनांक 21.06.1982 से पूर्ण रकबा 10 बीस्वा का विक्रय किया गया था और द्वितीय इकरारनामा दिनांक 14.08.1982 से भी वही रकबा 10 बीस्वा को विक्रय किया गया था। प्रार्थी पर एक ही ट्रांजेक्शन के लिये डबल मुद्राक शुल्क वसूल जाने की प्रक्रिया कानूनन व नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित है। यह बिन्दु चूंकि बिना किसी अतिरिक्त जांच के साधारण तौर पर ही न्यायालय की पत्रावली पर प्राप्त किया जा सकता है और एरर एपरेन्ट ऑन दि केस ऑफ रिकॉर्ड की श्रेणी में रखा जा सकता है। पुनरावलोकन के लिये मुख्य आधार यही है कि पुरावलोकन अपील निर्णय मे रह गई त्रुटि को बिना किसी अतिरिक्त जांच के देखा जा सकता हो तो इस मापदण्ड पर प्रार्थी का प्रकरण पूर्ण रूप से सही बैठता है। पुनरवालोकन याचिका

लगातार.....6

प्रस्तुत किया जाना इस कारण आवश्यक हुआ है क्योंकि कलक्टर (मुद्रांक) जयपुर वृत्त तृतीय पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा शर्मा, आर.ए.एस. ने अपने निर्णय दिनांक 24.03.2017 के द्वारा प्रार्थी के विरूद्व राशि 1,17,900/– रू की वसूली का आदेश विक्रय इकरारनाममा दिनांक 21.06.1982 के बाबत पारित किया है। इसी प्रकार उसी संपत्ति को लेकर दूसरे इकरारनामा दिनांक 14.08.1982 के लिये भी कलक्टर (मुद्रांक) जयपुर वृत्त तृतीय ने प्रार्थी के विरूद्व राशि 1,17,900/– रू की वसूली का आदेश पारित कर दिया है। इस प्रकार उपरोक्त राशियां एक ही सम्पत्ति के प्रति वसूली योग्य मानी गई है।

10. विचाराधीन प्रकरणों में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इकरारनामा दिनांक 21.06.82 व 14.08.82 को मुद्रांकित करने हेतु अलग–अलग प्रार्थना पत्र पेश हुए थे तथा इसी अनुरूप अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण सं. 255/2010 व 256/2010 दर्ज कर अलग–अलग निर्णय पारित किये गये जिनके विरूद्व प्रस्तुत अलग–अलग निगरानियों में राजस्थान कर बोर्ड द्वारा भी निगरानी सं. 890/2011 व 891/2011 में अलग–अलग निर्णय दिनांक 16.12.2016 पारित कर प्रकरण रिमाण्ड किये गये जिनमें अधीनस्थ न्यायालय ने पुनः निर्णय दिनांक 24.03.2017 द्वारा अलग–अलग निर्णय पारित करते हुए प्रत्येक प्रकरण में 1,17,900/– रू. की मांग कायम की है। प्रार्थी का संशोधन प्रार्थना पत्रों में यह आधार लिया है कि एक ही सम्पत्ति के दो अलग–अलग इकरारनामें को विधिक त्रुटि को दूर करने के लिए निष्पादित किये गये थे जिससे इन इकरारनामों पर अलग–अलग मुद्रांक कर नहीं लिया जाना चाहिए बल्कि एक इकरारनामें पर ही मुद्रांक कर लिया जाना चाहिए। प्रार्थी द्वारा दोनो इकरारनामे एक ही सम्पत्ति के होने आदि का स्पष्ट कथन न तो प्रकरण सं. 255/2010 व 256/2010 में अधीनस्थ न्यायालय में व न ही निगरानी स्तर पर किया है। अब नये तथ्य संशोधन प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत किये है जिन पर संशोधन प्रार्थना पत्रों के आधार पर विचार नहीं किया जा सकता व न ही निर्णयों में कोई संशोधन किया जा सकता है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा संशोधन प्रार्थना पत्रों में लिये गये आधार निर्णय में संशोधन की श्रेणी में नहीं आते है।

11. उपरोक्त विवेचन के आधार पर संशोधन प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने के कारण खारिज किये जाते है। प्रार्थी यदि निगरानीयों में पारित निर्णय दिनांक 16.12.2016 के क्रम में प्रतिप्रेषित प्रकरणों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेशों से व्यथित है तो इस सम्बन्ध में प्रार्थी विधिक उपचार हेतु स्वतंत्र है।

12. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य